

संख्या एल०एस०/12/2026-अनुपालन प्रकोष्ठ-भाग (1)

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 01.07.2026

वर्ष 2026 की परामर्शिका संख्या 14

विषय : प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 2023 के अनुसार वार्षिक विवरण प्रस्तुत न किए जाने पर शास्ति के संबंध में

इस कार्यालय की दिनांक 05.06.2026 की वर्ष 2026 की परामर्शिका संख्या 11 के क्रम में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जिन प्रकाशकों द्वारा **वित्तीय वर्ष 2024-25** के लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन्हें उक्त वार्षिक विवरण **15.07.2026** को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) (ख) तथा (3) के उपबंधों के अनुसार, धारा 12 के अधीन अपेक्षित वार्षिक विवरण को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसके संबंध में ऐसा वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले किसी नियतकालिक पत्रिका के प्रकाशक पर अधिनियम में विहित शास्ति अधिरोपित किए जाने का दायित्व होगा।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 14 (3) के अनुसार, वार्षिक विवरण प्रस्तुत न किए जाने पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की राशि प्रथम चूक के लिए दस हजार रुपये (₹10,000) से कम नहीं होगी। प्रत्येक अनुवर्ती चूक के लिए, पूर्ववर्ती चूक की राशि की दोगुनी दर से बढ़ी हुई शास्ति अधिरोपित की जाएगी (अर्थात् चूक के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए ₹20,000, तथा इसी प्रकार आगे), जो अधिकतम दो लाख रुपये (₹2,00,000) की सीमा के अधीन होगी।

5. **15.07.2026** के पश्चात समयावधि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। नियत तिथि तक वार्षिक विवरण प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रथम चूक के लिए **₹10,000/- (केवल दस हजार रुपये) की शास्ति** अधिरोपित की जाएगी।

इसे भारत के प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रत्नाकर पामुला)
उप प्रेस महापंजीयक